पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या-541/2017

थाना कांड संख्या -38 वर्ष-2012 थाना- बारूराज जिला- मुज़फ्फरपुर से उत्पन्न

==========

मो. जमशेद आलम, पुत्र मो. सामिउल्लाह, निवासी- ग्राम और थाना- बारूराज, जिला- मुज़फ़्फ़रपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता

==========

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री हरि किशोर ठाकुर, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, अ.लो.अ.

==========

अलग-अलग हत्या (धारा 302 भ. दं. सं.) और गैर इरादतन हत्या (धारा 304 भाग-II भ. दं. सं.)- अदालत ने पाया कि हालांकि आरोपी ने यह जानते हुए काम किया कि उसके कृत्य से मौत होने की संभावना है, लेकिन हत्या करने का कोई पूर्व-विचार या इरादा नहीं था। तदनुसार, धारा 302 भ. दं. सं. के तहत दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-II भ. दं. सं. में संशोधित किया गया और आजीवन कारावास की सजा को 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया गया। निर्णय में गवाहों के बयानों, चिकित्सा साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विरोधाभासों के साक्ष्य मूल्य पर भी चर्चा की गई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि भौतिक विसंगतियां गवाही को अविश्वसनीय बना सकती हैं।

- *दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374 (2) - अपीलीय समीक्षा का दायरा - अपीलीय अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए गवाहों की गवाही, चिकित्सा रिपोर्ट और भौतिक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया कि क्या धारा 302 भ. दं. सं. के तहत दोषसिद्धि संधारणीय थी। - धारा 374(2) सीआरपीसी के तहत अपीलीय समीक्षा में, अदालतों को यह जांच करनी चाहिए कि क्या ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्य की सही तरीके से सराहना की और कानून को लागू किया।* ***(पैरा 26-28)****।*
- *मेडिकल साक्ष्य बनाम नेत्र संबंधी साक्ष्य - दोष निर्धारित करने में भूमिका- पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खोपड़ी पर केवल एक बाहरी चोट दिखाई गई, लेकिन आंतरिक जांच में पसलियों में फ्रैक्चर और आंतरिक रक्तस्राव पाया गया।* ***(पैरा 23)****।*
- *भारतीय दंड संहिता, 1860 - धारा 302 और धारा 304 भाग-II - हत्या बनाम सदोष हत्या - अभियुक्त को मूल रूप से धारा 302 भ. दं. सं. के तहत दोषी ठहराया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के बाद दोषसिद्धि को धारा 304 भाग-II भ. दं. सं. में संशोधित किया: - कृत्य पूर्व नियोजित नहीं था - अभियुक्त ने केवल एक घातक प्रहार किया, जो हत्या करने के इरादे की अनुपस्थिति को दर्शाता है - अभियुक्त को पता था कि उसके कृत्य से मृत्यु होने की संभावना है, जो मामले को धारा 304 भाग-II भ. दं. सं. (पैरा 29) के दायरे में लाता है। निर्णय दिया गया कि आजीवन कारावास की सजा को 10 वर्ष के कठोर कारावास से प्रतिस्थापित किया जाएगा।* ***(पैरा 30)***
- *(उद्धृत मामला:-* ***कैमिलो वाज़ बनाम गोवा राज्य*** *[(2000) 9 एससीसी 1],* ***रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** *[(2012) 8 एससीसी 289], अनबाझगन बनाम राज्य [2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 857], [रा****मपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,*** *(2012) 8 एससीसी 289 में रिपोर्ट किया गया;* ***अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम***

***महाराष्ट्र राज्य**, (2013) 6 एससीसी 770 में रिपोर्ट किया गया; **चेंदा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,** (2013) 12 एससीसी 110 में रिपोर्ट किया गया; **सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य,** (2017) 5 एससीसी 796 में रिपोर्ट किया गया; **वेलथेपु श्रीनिवास बनाम तेलंगाना राज्य,** 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 107 में रिपोर्ट किया गया]।*

- *भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 – गवाहों की विश्वसनीयता - गवाही में विरोधाभास - प्रत्यक्षदर्शियों (पीडब्लू-1 और पीडब्लू-4) ने मृतक पर बांस की छड़ी से हमला करने के बारे में लगातार गवाही दी, जिससे उसकी मौत हो गई। - हालांकि, पीडब्लू-6 और पीडब्लू-8 की गवाही को धारा 161 सीआरपीसी के तहत पुलिस के समक्ष उनके बयानों और अदालत के समक्ष उनके बयानों के बीच विरोधाभासों के कारण नजरअंदाज कर दिया गया - माना गया कि, जबकि छोटी-मोटी असंगतताएं अभियोजन को प्रभावित नहीं करती हैं, लेकिन भौतिक तथ्यों के बारे में बड़े विरोधाभास गवाही को अविश्वसनीय बना सकते हैं।*
- *चिकित्सा साक्ष्य ने प्रत्यक्षदर्शी के बयानों की पुष्टि की, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ - माना गया कि, जब चिकित्सा रिपोर्ट विश्वसनीय गवाहों की गवाही के साथ मेल खाती है, तो अदालत मामूली विसंगतियों के बावजूद अभियोजन पक्ष के मामले को बरकरार रख सकती है। **(पैरा 26 - 28)**।*

- *सजा के सिद्धांत - हत्या के मामले में दोष की डिग्री - अदालत ने अभियुक्त के कार्यों के पीछे की मंशा (इरादा और ज्ञान) का विश्लेषण किया, और पाया कि बार-बार वार न करना और पूर्वचिंतन से हत्या नहीं, बल्कि सदोष हत्या का संकेत मिलता है। **(पैरा 29)***

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी तागिया

सीएवी निर्णय

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

तारीखः 06.03.2025

उपरोक्त अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसके बाद "दं. प्र. सं". के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 374 (2) के तहत सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुज़फ़्फ़रपुर (जिसे इसके बाद "विद्वान विचारण न्यायाधीश" के रूप में संदर्भित किया गया है) के विद्वान न्यायालय द्वारा सत्र मुक़दमा संख्या 160 वर्ष 2013 (जो बारूराज थाना कांड संख्या 38 वर्ष 2012 से उत्पन्न है) में पारित किए गए दोषसिद्धि के फैसले दिनांक 09.03.2017 और सज़ा के आदेश दिनांक 10.03.2017 के खिलाफ की गई है। दिनांक 09.03.2017 के उक्त निर्णय द्वारा विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता (इसके बाद "भा. दं सं". के रूप में संदर्भित) की धारा 302 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है और दिनांक 10.03.2017 के आदेश के अनुसार उसे कठोर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना रु.10,000/- की सजा सुनाई और जुर्माना न देने पर अपीलार्थी को एक वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास से गुजरने की सज़ा सुनाई गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 08.06.2012 को दोपहर के लगभग 12.00 बजे सुचक मो. रमजान का *फर्दबयान* पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा दर्ज किया गया। *फर्दबयान* में, सुचक ने कहा है कि 08.06.2012 को सुबह लगभग 11.00 बजे वह अपनी मृतक-पत्नी जुलेखा खातून के साथ अपने घर के दरवाज़े पर बैठे थे जब मो. जमशेद आलम (अपीलार्थी) वहाँ पहुँचा और उस की पत्नी को अपने साथ आने के लिए कहा क्योंकि उसे उस से कुछ बात करनी थी, जिस के बाद उसकी मृतक-पत्नी जुलेखा खातून मोहम्मद जमशेद (अपीलार्थी) के साथ उस के घर चली गई। सुचक की पत्नी के कुछ दूर जाने के बाद, उसने अपनी पत्नी को शोर मचाते हुए सुना, जिस के बाद वह तुरंत वहाँ गया और देखा कि उसकी पत्नी जुलेखा खातून पर मोहम्मद जमशेद (अपीलार्थी), मो. शमशाद, मो. खुर्शीद, क़ैशर खातून एवं हबीबन खातून द्वारा मुट्ठियों, थप्पड़ों और लातों से हमला किया जा रहा है। सूचक ने आगे बताया कि उसने बीच-बचाव कर दोनों के बीच झगड़ा रुकवाया और अपनी पत्नी जुलेखा खातून को लेकर थाने गया, लेकिन जब वे करीब 11:30 बजे सहदेव चौक पर पहुंचे तो जमशेद आलम (अपीलार्थी) दौड़ता हुआ आया और उसने बांस के डंडे से जुलेखा खातून के सिर और गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे जुलेखा खातून घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी और फिर सूचक ने अपनी पत्नी जुलेखा खातून को घायल अवस्था में टेम्पो पर लादकर इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद सुचक ने कहा कि वह उसी टेम्पो से अपनी मृतक-पत्नी जुलेखा खातून को पुलिस स्टेशन ले गया जहां उसका बयान दर्ज किया गया था। सुचक ने बताया है कि घटना का कारण यह है कि मोहम्मद जमशेद आलम (अपीलकर्ता) की बहन खुशबू सुचक के बेटे के साथ भाग गई थी और उसने कोर्ट में शादी कर ली थी। सुचक ने यह भी बताया है कि उपरोक्त आरोपियों ने उसकी पत्नी जुलेखा खातून पर

मुक्कों और थप्पड़ों से हमला किया था और फिर जमशेद आलम (अपीलकर्ता) ने उसकी पत्नी को जान से मारने की नीयत से उसके सिर और गर्दन पर हमला किया था।

3. सुचक के उक्त *फर्दबयान* के आधार पर थाना प्रभारी, बारूराज थाना द्वारा मोहम्मद जमशेद आलम (अपीलार्थी), मो. शमशाद आलम, मो. खुर्शीद, कैशर खातून और हबीबन खातून के खिलाफ औपचारिक एफ. आई. आर. बारूराज थाना कांड संख्या 38 वर्ष 2012 भा. दं. सं. की धारा 302/34 के तहत दर्ज की गई थी। अनुसन्धान के बाद और अपीलार्थी के खिलाफ आरोप को सही पाए जाने पर पुलिस ने 15.11.2012 को भा. दं. सं की धारा 341, 323, 504 तथा 302/34 के अंतर्गत आरोप-पत्र समर्पित किया था। इसके बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के खिलाफ भा. दं. सं की धारा 341, 323, 504 और 302/34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया था। यह मामला तब सत्र न्यायालय को सौंपा गया था और इसे सत्र मुक़दमा संख्या 160 वर्ष 2013 अंकित गया था। विद्वान विचरण न्यायालय ने 04.04.2013 को अपीलकर्ता के खिलाफ भ. दं. सं. की धारा 341/34, 504, 323/34 और 302/34 के तहत आरोप तय किए थे, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमा चलाए जाने की मांग की।

4. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों का परीक्षण किया गया है। अ. सा.- 1 मो. रमजान सुचक है और मृतक का पति है। अ. सा.- 4 मो. मुमताज मृतक की भतीजी है। अ. सा.- 6 शमीना खातून सुचक की साली है। अ. सा.- 8 मो. कुरबान अली मृतक का बहनोई है। जहाँ तक अ. सा.- 2 कयूम, अ. सा.-3 मोहम्मद शमशाद आलम, अ. सा.- 12 बदरूद्दीन और अ. सा.- 13 संजय राम का

सवाल है, यह कहा-सुनी गवाह हैं। अ. सा.- 5 उमेश कुमार एक औपचारिक गवाह है, जिस ने ज़ब्ती सूची में अपने हस्ताक्षर की पहचान की है। अ. सा.-7 मो. सामी अख्तर जाँच रिपोर्ट के गवाह हैं। अ. सा.-9 मो. कासिम और अ. सा.-10 सरस्वती देवी ने अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही दी है। अ. सा.- 11 चंद्रिका राम वर्तमान मामले के जांच अधिकारी हैं, जबकि अ. सा.- 14 डॉ. प्रमोद कुमार वह डॉक्टर हैं जिन्होंने मृतक-जुलेखा खातून के शव का पोस्टमॉर्टम किया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री हरि किशोर ठाकुर ने निवेदन किया है कि अधिकांश गवाहों ने सुनी-सुनाई गवाही दिए हैं और जो गवाह चश्मदीद गवाह होने का दावा करते हैं, वे असंगत हैं और उन के बयान में बड़े विरोधाभास पाए जा सकते हैं। आगे निवेदन किया गया है कि मृतक के सिर पर केवल एक प्रहार किया गया था और जहां तक मृतक की गर्दन पर बांस की छड़ी से प्रहार करने के आरोप का संबंध है, चिकित्सा साक्ष्य, यानी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार यह निवेदन किया गया है कि घटना पूर्व-नियोजित नहीं थी और यह दो कारणों से निरंतर उकसावे के कारण हुई थी, पहला, सुचक के परिसर में स्थित हैंड पंप का पानी अपीलकर्ता के खेत में बहता था और दूसरा, सुचक का बेटा अपीलकर्ता की बहन के साथ भाग गया था और शादी कर ली थी। यह आगे निवेदन किया गया है कि हालांकि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में तीन पसलियां टूटी हुई पाई गई हैं, हालांकि, किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि मृतक की छाती/पसलियों पर कोई हमला किया गया था। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि हालांकि वर्तमान मामला बरी करने का मामला है, तब भी, अपीलार्थी का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उसने मृतक के सिर पर बार-बार हमला नहीं किया था, इसलिए वैकल्पिक रूप से, यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान मामला भा. दं. सं के भाग-II की धारा 304 के दायरे में आएगा।

6. *इसके विपरीत,* राज्य के विद्वान एपीपी, श्री दिलीप कुमार सिन्हा ने निवेदन किया है कि गवाहों की गवाहीयां सुसंगत हैं। इसके बाद यह निवेदन किया गया है कि जहां तक अ. सा.- 1, अ. सा.- 4, अ. सा.- 6 और अ. सा.- 8 का संबंध है, वे उपरोक्त घटना के चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने लगातार इस बात की गवाही दी है कि जमशेद (अपीलार्थी) ने जुलेखा खातून (मृतक) के सिर और गर्दन पर बांस की छड़ी से हमला किया था, जिस के परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि विचाराधीन घटना की पूरी तरह से चिकित्सा साक्ष्य से पुष्टि की गई है। अंत में, राज्य के लिए विद्वत एपीपी ने निवेदन किया है कि विद्वत विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार कर के दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और सज़ा का आदेश पारित किया है और यह एक तर्कपूर्ण आदेश है, इस प्रकार, वर्तमान अपील खारिज करने के लिए उपयुक्त है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के अलावा हमने मौखिक और दस्तावेज़ी दोनों साक्ष्यों का बारीकी से अध्ययन किया है। आगे बढ़ने से पहले, संक्षेप में साक्ष्य पर चर्चा करना आवश्यक है।

8. अ. सा.-1 मो. रमजान वर्तमान मामले का सुचक और मृतक-जुलेखा खातून का पति है। उस ने अपने बयान में कहा है कि मृतक-जुलेखा खातून उसकी पत्नी है और यह घटना एक साल पहले सुबह लगभग 11 बजे की है, जब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर के दरवाज़े पर बैठा था और फिर जमशेद आलम (अपीलकर्ता) वहां पहुंचा और उस की पत्नी से कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है, जिस के बाद उस की पत्नी जमशेद और रकीबुल इस्लाम नाम के एक बच्चे के साथ गई थी, मगर कुछ समय बाद, उक्त बच्चा रोते हुए वापस आया और अ. सा.- 1 को बताया कि वे लोग मां

पर हमला कर रहे हैं, जिस के बाद अ. सा.-1 घटना स्थल पर गया और देखा कि उसकी पत्नी का सिर फट चुका था। पूछने पर, अ. सा.-1 की पत्नी ने खुलासा किया कि हबीबन खातून, क़ैसर खातून, जमशेद आलम, समीमुल्ला के बेटे, यानी नानकी ने उस पर हमला किया था। इस के बाद, अ. सा.- 1 अपनी पत्नी के साथ चला और जब वह उसे अपने घर ला रहा था और सहदेव चौक पर एक चाय की दुकान के पास पहुंचा, तो जमशेद आलम वहां पहुंचा और अपनी पत्नी के सिर और गर्दन पर बांस की छड़ी से हमला किया, जिसके बाद वह नीचे गिर गई। अ. सा.- 1 ने यह भी कहा है कि उस ने तब अपनी पत्नी को अपने कंधे पर उठाया था और उसे अपने घर ले गया था, जिस के बाद वह अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन गया जहाँ जमशेद बैठा था पर उसे देख कर वह भाग गया और फिर उसने अपनी पत्नी को पुलिस स्टेशन में लेटा दिया। अ. सा.- 1 ने इस के बाद कहा कि जब वह अपनी पत्नी को पुलिस स्टेशन ले गया था, तो वह सांस ले रही थी, हालांकि उसकी हालत को देखते हुए, पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने उसे अपनी पत्नी को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए कहा, जिस के बाद वह अपनी पत्नी को अस्पताल ले गया, पर अस्पताल में डॉक्टर ने उस की पत्नी को मृत घोषित कर दिया। अ. सा.- 1 तब अपनी पत्नी को पुलिस स्टेशन ले आया था जहाँ उसने फिर से जमशेद आलम को वहाँ बैठे देखा था। अ. सा.- 1 ने यह भी कहा है कि पहले उनके बेटे और जमशेद की बहन के बीच बातचीत होती थी और वे उनके बीच होने वाले पत्रों के आदान-प्रदान को पकड़ते थे, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया था और फिर उनका बेटा ढाई-तीन साल तक वापस नहीं आया था। अ. सा.- 1 ने यह भी कहा है कि वर्तमान घटना उक्त विवाद के कारण हुई है। अ. सा.- 1 ने कठघरे में खड़े अपीलार्थी को पहचाना था।

9. जिरह में अ. सा.- 1 ने कहा है कि घटना के समय उनका बड़ा बेटा मौजूद नहीं था। अ. सा.- 1 ने कहा है कि उसे याद नहीं है कि उसे प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई थी या नहीं और घटना के दिन पुलिस ने उससे पूछताछ की थी या नहीं। जिरह में अ. सा.- 1 ने कहा है कि उस ने पुलिस को बताया था कि जमशेद आलम (अपीलार्थी) उसके घर के पास पहुँचा और उस की पत्नी को उस के साथ जाने के लिए कहा क्योंकि उस की माँ उसे बुला रही थी, जिस के बाद एक नौ साल का रकीबुल इस्लाम नाम का एक बच्चा, उस की पत्नी के साथ गया था, पर कुछ समय बाद वह रोते हुए लौटा और उसे बताया कि वे लोग उस की माँ पर हमला कर रहे थे, जिस के बाद वह घटना स्थल पर गया जहाँ उस ने देखा कि उस की पत्नी पर हमला किया गया था और वह रो रही थी। अ. सा.- 1 ने यह भी कहा है कि हालांकि सहदेव चौक पर 3-4 चाय की दुकानें और 10-12 दुकानें हैं, लेकिन उस ने परमानंद साह, विश्वनाथ साह और भुनेश्वर साह के नामों का खुलासा किया था, क्योंकि उसे अन्य दुकान मालिकों का नाम याद नहीं था। अ. सा.- 1 ने कहा है कि उस ने पुलिस को सूचित किया था। अ. सा.- 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में आगे कहा है कि पानी उन के नल से जमशेद आलम के खेत की ओर बहता था जिस का जमशेद आलम विरोध करते थे। अ. सा.- 1 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि उस की पत्नी आरोपी व्यक्तियों के घर से सहदेव चौक तक पैदल चली गई थी, जहां उसने उसे विश्वनाथ साह की दुकान पर बिठाया था और फिर उसने देखा कि लगभग 10 छड़ी की लंबाई (एक छड़ी की लंबाई लगभग 10 फीट के बराबर) की दूरी पर, पीछे की तरफ से जमशेद उस की पत्नी के पास पहुंच गया था, हालांकि उसकी पत्नी ने भागने की कोशिश नहीं की और वहीं बैठी रही। अ. सा.- 1 ने कहा है कि जमशेद ने सहदेव चौक पर उस की पत्नी को दो बार मारा था जिस के बाद उसकी पत्नी बेहोश हो गई और फिर उस ने अपनी पत्नी को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे

पुलिस स्टेशन ले गया। उस ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि उस की पत्नी ने उसे बताया था कि हबीबन खातून, क़ैसर खातून, जमशेद आलम और समीमुल्ला के बेटे नानकी ने उस पर हमला किया था।

10. अ. सा.- 2 कयूम एक साइकिल मैकेनिक है और उस ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना लगभग एक साल पहले सुबह 11:30 बजे हुई थी जब वह बोरिंग चौक स्थित अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तब मोटरसाइकिल पर जा रहे एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि जमशेद (अपीलार्थी), खुर्शीद, शमशाद, क़ैसर और हबीबन रमजान (सुचक) की पत्नी जुलेखा खातून पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उक्त घटना के बाद जब रमजान और उनकी पत्नी पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो जमशेद ने सहदेव चौक पर जुलेखा खातून पर बांस की छड़ी से हमला किया था, जिस से जुलेखा नीचे गिर गई और बेहोश हो गई। अ. सा.- 2 ने आगे कहा है कि उस ने सुना कि जब रमजान अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा था, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अ. सा.- 2 ने यह भी कहा है कि घटना के बाद वह पुलिस स्टेशन गया था, जहाँ उसने शव को टेंपो में लदे हुए देखा था। इस के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस ने बांस की छड़ी की ज़ब्ती सूची तैयार की थी, जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर किए थे, जिस की उन्होंने पहचान की है और वही प्रदर्श- 2 के रूप में चिह्नित है। अ. सा.- 2 ने कठघरे में खड़े अपीलार्थी को पहचाना था। अ. सा.- 2 ने अपनी जिरह में कहा है कि उनका घर सहदेव चौक से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अ. सा.- 2 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि उसे मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे व्यक्ति से घटना की जानकारी मिली थी। अ. सा.- 2 ने कहा है कि बांस की छड़ी को रमजान ने पुलिस स्टेशन में जमा किया था।

11. अ. सा.- 3 मो. शमशाद आलम ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना एक साल पुरानी है जब वह अपने गांव में काम कर रहा था और फिर उसने सुना कि जमशेद (अपीलकर्ता) ने जुलेखा खातून पर हमला किया था और भाग गया था। उन्होंने कहा है कि जमशेद ने सहदेव चौक पर जुलेखा खातून पर हमला किया था, लेकिन उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जुलेखा खातून पर हमला करने के बारे में पता नहीं है। उस ने यह भी कहा है कि उस ने सुना है कि रमजान अपनी पत्नी को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अ. सा.- 3 ने आगे कहा कि घटना के बारे में सुनने के बाद वह जुलेखा खातून के घर गया था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिला, जिस के बाद वह पुलिस स्टेशन गया था, जहां पुलिस दस्तावेज तैयार कर रही थी और वहां उसने एक बांस की छड़ी देखी थी, जो खून से लथपथ थी और उसी के संबंध में दस्तावेज तैयार किए गए थे, जिस की उसने पहचान की है और उसे प्रदर्श- 2/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। अ. सा.- 3 ने कठघरे में खड़े अपीलार्थी को पहचाना था। अ. सा.-3 ने अपनी जिरह में कहा है कि वह सुबह लगभग 09.00 पर अपने काम पर गया था, हालांकि उसे घटना के बारे में 02:00-02:30 बजे दिन में पता चला और बांस की छड़ी के बारे में दस्तावेज़ दिन में लगभग 3 बजे तैयार किया गया।

12. अ. सा.- 4 मो. मुमताज मृतक-जुलेखा खातून का भतीजा है और उस ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना लगभग एक साल पहले सुबह 11:00 बजे की है जब वह मोतीपुर जा रहा था और सहदेव चौक पर *पान* खाने के लिए रुका था और फिर उसने देखा कि उसकी चाची जुलेखा खातून पानी पीने के लिए विश्वनाथ की दुकान पर बैठी थी और इस बीच जमशेद (अपीलकर्ता) वहाँ पहुँच गया था और उस की गर्दन और लौकिक क्षेत्र पर बांस की छड़ी से हमला किया था, जिस से वह बेहोश हो गई थी,

जिस के बाद उसके चाचा ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया था और उसे पुलिस स्टेशन ले गए थे जहाँ से उसे टेम्पो पर इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, इस लिए उसे वापस पुलिस स्टेशन लाया गया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस घटना को नहीं देखा था जो घर पर हुई थी। उन्होंने कठघरे में खड़े अपीलार्थी को भी पहचाना है। अ. सा.- 4 ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि जब उन्होंने विश्वनाथ साह की दुकान की ओर देखा तो वहां तीन लोग बैठे थे और उस की चाची दुकान के बाहर एक झोपड़ी के नीचे बैठी थीं। अ. सा.- 4 ने यह भी कहा है कि जमशेद अपनी चाची के वहाँ बैठने के पाँच मिनट बाद दुकान पर आया था। अ. सा.- 4 ने अपनी जिरह में कहा है कि जमशेद ने दुकान के अंदर जाकर जुलेखा खातून पर हमला किया। अ. सा.- 4 ने आगे कहा है कि जिस समय जमशेद ने जुलेखा खातून पर हमला किया था, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, हालांकि शोर मचने पर कुछ लोग वहां पहुंचे और जमशेद को पकड़ने की कोशिश की, मगर जमशेद बांस की छड़ी फेंकने के बाद पुलिस स्टेशन की ओर भाग गया और उसके बाद, जमशेद गायब हो गया और पुलिस स्टेशन चला गया। अपनी जिरह में अ. सा.- 4 ने कहा है कि उस के घर के सामने जमशेद का खेत स्थित है और वह बकरियाँ और मुर्गियाँ रखता है और कभी-कभी उस की बकरी जमशेद के खेत में जाती है और फसलों को चरने लगती है जिस से जमशेद क्रोधित हो जाता है और उस के साथ झगड़ा करने लगता है। अ. सा.- 4 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि उसने पुलिस अधिकारी के सामने यह खुलासा नहीं किया था कि जिस समय जुलेखा खातून विश्वनाथ साह की दुकान पर बैठी थी और पानी पी रही थी, उस समय जमशेद ने उसके सिर और गर्दन पर बांस की छड़ी से वार किया था, हालांकि उसने पुलिस के सामने खुलासा किया था

कि उसकी चाची के नीचे गिरने के बाद, उसके चाचा ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया था और उसे पुलिस स्टेशन ले गए थे।

13. अ. सा.- 5 उमेश कुमार ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना लगभग एक साल पुरानी है जब वह दवा खरीदने के लिए सहदेव चौक जा रहे थे और वहां उन्होंने पाया कि कई लोग इकट्ठा हुए थे, जिस के बाद उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और देखा कि एक पुलिस अधिकारी ज़ब्ती सूची तैयार कर रहा था, जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए थे, जिसे उन्होंने पहचाना है और उसे प्रदर्श- 3 के रूप में चिह्नित किया गया है। जिरह में अ. सा.- 5 ने कहा है कि सहदेव चौक पर कोई दवा की दुकान नहीं है।

14. अ. सा.-6 शमीना खातून सुचक की साली है और उसने अपने बयान में कहा है कि यह घटना लगभग एक साल पहले सुबह 11:00 बजे की है जब वह जुलेखा खातून (मृतक) के साथ *मूंग* तोड़कर अपने घर लौटी थी और फिर जमशेद आलम (अपीलकर्ता) जुलेखा खातून को बुलाने आया था और उसे ले गया था, जिस के बाद उसने *हल्ला* (अलार्म) सुना और फिर वह घटना स्थल की ओर दौड़ी जहां उसने पाया कि जमशेद, खुर्शीद, समशेर, क़ैसर व हबीबन जुलेखा खातून पर हमला कर रहे थे और जुलेखा खातून का सिर भी फट गया था, जिस के बाद रमजान अली (सुचक) उसे पुलिस स्टेशन ले गया था। अ. सा.- 6 ने आगे कहा है कि जब रमजान ने जुलेखा को उठाया था और बच्चों को लाने के लिए घर जा रही थी तो जमशेद वहां आया था और उस ने जुलेखा खातून की गर्दन और कान पर बांस की छड़ी से हमला किया था जिस से जुलेखा खातून नीचे गिर गई, जिस के बाद जमशेद बांस की छड़ी फेंककर भाग गया। अ. सा.- 6 ने यह भी कहा है कि रमजान तब जुलेखा खातून को पुलिस स्टेशन

ले गया था और वे भी उनके साथ थे, हालांकि पुलिस स्टेशन में प्रभारी अधिकारी ने उन्हें जुलेखा खातून को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इस के बाद उस ने कहा कि जुलेखा खातून को टेम्पो पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, इस प्रकार उसे वापस पुलिस स्टेशन लाया गया। अ. सा.- 6 ने कटघरे में खड़े अपीलार्थी को पहचाना था। अ. सा.- 6 ने अपनी जिरह में कहा है कि उसका बयान पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया था और उसने पहले यह नहीं कहा था कि घटना के समय वह घटना स्थल से अपने घर गई थी और जब वह वापस आई थी, तो उसने देखा था कि जुलेखा खातून की मृत्यु हो गई थी। अ. सा.- 6 ने यह भी कहा है कि उस ने पुलिस अधिकारियों के सामने यह खुलासा नहीं किया था कि जमशेद आलम ने सहदेव चौक पर जुलेखा खातून पर हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी। इस के बाद अ. सा.- 6 ने अपनी जिरह में कहा कि उसने पुलिस अधिकारी के सामने यह खुलासा नहीं किया था कि जमशेद आलम ने जुलेखा खातून को फोन किया था और उसे अपने घर ले गया था, जहां उसने खुर्शीद और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जुलेखा खातून पर मुक्कों और थप्पड़ से हमला किया था और फिर जुलेखा के पति के पास जमशेद के घर गया और हस्तक्षेप किया, जिस के बाद वह मृतक को पुलिस स्टेशन ले गया। अ. सा.- 6 ने यह भी कहा है कि जब जुलेखा खातून जमशेद के घर गई थी, तो वह भी पीछे से गई थी और देखा था कि जुलेखा खातून के सिर के बीच से खून बह रहा था। अ. सा.- 6 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि उसका बयान पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

15. अ. सा.- 7 मो. सामी अख्तर ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना एक साल पहले लगभग दिन में 2 बजे की है जब उस ने देखा कि कुछ लोग पुलिस स्टेशन की ओर जा रहे हैं और फिर उसे पता चला कि जमशेद और उसके परिवार के

सदस्यों ने रमजान की पत्नी पर हमला किया है और उसकी हत्या कर दी है। उस ने यह भी कहा है कि वह तब पुलिस स्टेशन गया था जहाँ उसने रमजान की पत्नी का शव देखा और मृतक के शरीर से खून बहते हुए भी देखा। अ. सा.- 7 ने इसके बाद कहा कि पुलिस थाने में पुलिस अधिकारी दस्तावेज तैयार कर रहे थे और उन्होंने जांच रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिस पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर भी किए थे, जिस की उन्होंने पहचान की है और उसे प्रदर्श- 4 के रूप में चिह्नित किया गया है। पी. डब्ल्यू. 7 ने मो. क़ासिम के हस्ताक्षर की भी पहचान की है जिसे उन्होंने पी. डब्ल्यू. 7 के समक्ष जांच रिपोर्ट पर बनाया था, जिसे प्रदर्श- 4/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने कटघरे में खड़े अपीलार्थी को भी पहचाना। अ. सा.- 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षण में आगे कहा है कि उस ने 02:30 और 03:00 बजे के बीच पुलिस स्टेशन में जांच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

16. अ. सा.-8 मो. कुरबान अली मृतक-जुलेखा खातून का देवर है और सुचक -रमजान का भाई है और उसने अपने बयान में कहा है कि यह घटना एक साल पहले सुबह लगभग 11 बजे की है। उसका घर मृतक के घर के बगल में स्थित है। अ. सा.-8 ने आगे कहा कि घटना के समय, जमशेद (अपीलकर्ता) जुलेखा खातून के घर उसे बुलाने और बताने आया था कि उसकी माँ उसे बुला रही है, जिस के बाद जुलेखा खातून जमशेद के साथ उस के घर गई थी और फिर जमशेद ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुलेखा खातून पर मुक्कों यों और थप्पड़ से हमला किया था। इसके बाद, रमजान (सुचक) और अ. सा.- 8 जमशेद के घर गए और देखा कि जमशेद, खुर्शीद, समशाद, हबीबन और क़ैसर जुलेखा खातून पर मुक्कों और थप्पड़ से हमला कर रहे थे, जिस के बाद वे जुलेखा खातून को पुलिस स्टेशन ले गए थे, हालांकि रास्ते में जमशेद ने जुलेखा खातून को ईंट से मारा था, जिस से खून बह रहा था, जो उस के

कपड़ों पर गिर गया था लेकिन जमीन पर नहीं गिरा था। अ. सा.- 8 ने यह भी कहा है कि इसके बाद, जुलेखा खातून सहदेव चौक पर बैठी थीं और उन्होंने अपने पति को कहा था कि वे बच्चों को लाएँ अन्यथा उन पर भी हमला किया जाएगा, मगर जैसे ही रमजान बच्चों को लाने के लिए खड़ा हुआ, जमशेद ने जुलेखा को उसकी गर्दन और लौकिक क्षेत्र पर बांस की छड़ी से मारा जिस से जुलेखा जमीन पर गिर गई और फिर जमशेद भाग गया, जिस के बाद जुलेखा खातून के पति ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और पुलिस स्टेशन ले गए, हालाँकि वहाँ पुलिस अधिकारी ने उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा और जब वे उसे टेम्पो पर डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अ. सा.- 8 ने कठघरे में खड़े अपीलार्थी को पहचाना था। अपनी जिरह में अ. सा.- 8 ने कहा है कि उसकी भाभी हमले के बाद जमशेद के घर पर गिरी नहीं, लेकिन उसके सिर से खून बह रहा था और वह पैदल सहदेव चौक गई थी। अ. सा.- 8 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि सहदेव चौक पर जमशेद ने उसकी भाभी की गर्दन और लौकिक क्षेत्र पर बांस की छड़ी से हमला किया था। अ. सा.- 8 ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि उसने पुलिस अधिकारी के सामने खुलासा किया था कि घटना के समय वह अपने घर पर था जब जमशेद जुलेखा को बुलाने आया था और उसे बताया था कि उसकी माँ उसे बुला रही है, जिस के बाद उसकी भाभी जमशेद के घर गई थी जहाँ जमशेद और उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी भाभी पर मुक्कों और थप्पड़ से हमला किया था, जिस के बाद वह और उसका भाई जमशेद के घर गए थे और जुलेखा को पुलिस स्टेशन की ओर ले गए थे, लेकिन रास्ते में जमशेद ने जुलेखा के सिर और लौकिक क्षेत्र पर ईंट से वार किया था, जिस से जमीन पर खून गिर गया था और फिर वे जुलेखा को पुलिस स्टेशन ले गए थे, जहां

पुलिस अधिकारियों ने उन्हें उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा था, मगर जब वे जुलेखा को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे, तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

17. अ. सा.-9 मो. कासिम ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना लगभग एक साल पुरानी है, दोपहर 02:00 बजे जब वह अपने घर पर था जब उसने सुना कि जमशेद (अपीलार्थी) ने रोजा (रमजान-सुचक) की पत्नी पर हमला किया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के बारे में पता चलने पर, अ. सा.- 9 के पुलिस स्टेशन जाने के बारे में कहा गया है जहाँ पुलिस अधिकारी एक दस्तावेज बना रहा था जिस पर उसने अपने हस्ताक्षर किए थे। पी. डब्ल्यू. 9 ने उक्त दस्तावेज़ की कार्बन प्रति की पहचान की है जिसे प्रदर्श- 4/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। अ. सा.- 9 ने जमशेद की पहचान की थी। जिरह में, अ. सा.- 9 ने कहा है कि वह एक सिलाई की दुकान चलाता है और पुलिस स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पर है जहाँ वह लगभग 02 बजे दोपहर में पहुंचा था। उसने यह भी कहा है कि उसने उस कागज को नहीं पढ़ा था जिस पर उसने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पुलिस अधिकारी ने उसे पढ़ कर सुनाया था।

18. अ. सा.- 10 सरस्वती देवी ने अपने बयान में कहा है कि जब वह सहदेव चौक पर अपनी चाय की दुकान के अंदर थीं तो *हल्ला* (अलार्म) हुआ और फिर वह बाहर आ गईं, जिसके बाद उन्होंने देखा कि रोजा चाचा की पत्नी वहां लेटी हुई थी और उसके सिर से खून बह रहा था। इसके बाद, घायल को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने पर उसकी मौत हो गई थी। अ. सा.- 10 ने आगे कहा है कि पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचा था और खून से लथपथ मिट्टी एकत्र की थी, जिसके बाद उसी के संबंध में दस्तावेज़ तैयार किया गया था जिस पर उसने अपने

अंगूठे का निशान लगाया था। अ. सा.- 10 ने आगे कहा है कि उसने यह नहीं देखा था कि जुलेखा खातून (मृतक) पर किसने हमला किया था। मामले के ऐसे दृष्टिकोण से अ. सा.-10 को प्रतिकूल घोषित किया गया था, हालांकि, विद्वान ए. पी. पी. द्वारा उससे जिरह की गई थी और अपनी जिरह में उसने कहा है कि यह सही नहीं है कि उसने कहा है कि जमशेद आलम जुलेखा खातून का पीछा कर रहा था और जब वह जुलेखा खातून के पास पहुंचा तो उसने उस पर बांस की छड़ी से हमला किया था, जिसके बाद वह गिर गई और बेहोश हो गई।

19. अ. सा.- 11 चंद्रिका राम वर्तमान मामले के जांच अधिकारी हैं और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जब वह बारूराज पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात थे, तब दिनांक 08.06.2012 को सुबह 10 बजे एक अपराध बैठक में भाग लेने के लिए पुलिस स्टेशन से निकले थे। लगभग सुबह 11:30 बजे पुलिस स्टेशन में सूचना मिली कि उनके पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हत्या की घटना हुई है। इसके बाद, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई और अ. सा.-11 ने घटना स्थल के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, जिस के बाद उसने *फर्दबयान* दर्ज कर के आईपीसी की धारा 302/34 बारूराज कांड संख्या 38 वर्ष 2012 दिनांक 08.06.2012 दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। अ. सा.- 11 ने *फर्दबयान* की पहचान की है जो उप-निरीक्षक ललन प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है और उसे प्रदर्श- 5 के रूप में चिह्नित किया गया है और साथ ही उन्होंने उस पर किए गए हस्ताक्षर की पहचान की है जिसे प्रदर्श- 5/1 के रूप में चिह्नित किया गया है। अ. सा.- 11 ने आगे कहा है कि वर्तमान मामले की जांच का दायित्व लेने के बाद सब-इंस्पेक्टर ललन प्रसाद सिंह द्वारा जब्ती सूची लिख कर तैयार की गई, जिस की पहचान उन्होंने की है और जिसे प्रदर्श- 6 के रूप में चिह्नित किया गया है। अ. सा.- 11 ने आगे कहा है कि जो कुछ भी जब्त

किया गया था उसे सीलबंद लिफाफे में अदालत के समक्ष पेश किया गया है, जिसे सामग्री प्रदर्श- । के रूप में चिह्नित किया गया है। अ. सा.- 11 ने आगे कहा है कि समीक्षा रिपोर्ट भी ललन प्रसाद सिंह द्वारा लिख कर तैयार की गई थी, जिस की उन्होंने पहचान की है और इसे प्रदर्श- 7 के रूप में चिह्नित किया गया है। अ. सा.- 11 ने कहा है कि वे पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ घटना स्थल पर गए थे जहाँ खून से लथपथ मिट्टी की जब्ती सूची तैयार की गई थी, जिसकी उन्होंने पहचान की है और इसे प्रदर्श- 8 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि खून से लथपथ मिट्टी से संबंधित जब्ती सूची अदालत में पेश की गई है, जिसे सामग्री प्रदर्श- ॥ के रूप में चिह्नित किया गया है। अ. सा.- 11 ने घटना के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का दौरा किया था और अपने बयान में घटना के स्थान और उसके आसपास स्थित घरों/दुकानों का वर्णन किया है। अ. सा.- 11 ने सुचक का पुनः बयान दर्ज किया था और साथ ही समीना खातून, कुरबान अली, संजय राय, अब्दुल कयूम, मोहम्मद शमशाद, सरस्वती देवी और उमेश कुमार का बयान भी दर्ज किया था साथ-साथ समीक्षा रेपोर्ट के गवाह समी अख्तर एवं मोहम्म्द क़ासिम का भी बयान लिया था। अ. सा.- 11 ने आगे कहा है कि उन्हें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मिली थी, मो. जमशेद (अपीलार्थी) ने 23.08.2012 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उसने भ. दं. सं. की धारा 341, 323, 504 और 302/34 के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

20. जिरह में, अ. सा.- 11 ने कहा है कि सुचक का फर्दबयान दर्ज किया गया था, जिस के बाद उसे सुचक को पढ़ कर सुनाया गया था और फिर उस ने उसे सही पा कर उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था। अपनी जिरह के पैराग्राफ सं. 19 में अ. सा.-11 ने कहा है कि उन्होंने से रक्त एकत्र कर जांच के लिए भेज दिया था,

लेकिन आज तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अ. सा.- 11 ने यह भी कहा है कि गवाह अब्दुल कयूम ने जमशेद आलम के नाम का खुलासा किया था। अ. सा.- 11 ने अपनी जिरह में आगे कहा है कि गवाह मुमताज़ ने उस के सामने यह नहीं कहा था कि उस की चाची के गिरने के बाद, उस के चाचा ने उस की चाची को अपने कंधे उठा लिया था। अ. सा.- 11 ने अपनी जिरह में कहा है कि गवाह मो. कयूम ने उसके सामने यह नहीं कहा था कि जुलेखा खातून सहदेव चौक की ओर भाग कर गई थी और फिर वहाँ उस पर हमला किया गया था। अ. सा.- 11 ने यह भी कहा है कि मो. मुमताज़ ने उसके सामने यह नहीं कहा था कि उसकी चाची के गिरने के बाद, उसके चाचा ने उसे अपने कंधे पर रख दिया था और उसे ले गए थे। अ. सा.- 11 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि गवाह शमीना खातून ने उस के सामने खुलासा किया था कि घटना के समय वह कुछ काम कर रही थी और जब बच्चों ने उसे बाहर बुलाया था, तो वह घटना स्थल पर गई थी जहां लोगों ने उसे बताया कि मृतक को सहदेव चौक पर जमशेद ने मार डाला था। अ. सा.- 11 ने यह भी कहा है कि समीना खातून ने मूंग तोड़ने के बारे में नहीं कहा था। अ. सा.- 11 ने अपनी जिरह में कहा है कि गवाह कुरबान ने उस के सामने यह नहीं कहा था कि जमशेद ने जुलेखा खातून को बुलाया था और उसे अपने घर ले गया था जहां उस पर हमला किया गया था। अ. सा.- 11 ने अपनी जिरह में यह भी कहा है कि गवाह मो. कुर्बान ने उन के सामने यह नहीं कहा था कि वह घटना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने जमशेद, खुर्शीद, समशाद, हबीबन और क़ैसर को जुलेखा पर हमला करते देखा था। अ. सा.- 11 ने आगे कहा है कि गवाह कुरबान ने उस के सामने यह नहीं कहा था कि जब वे पुलिस स्टेशन गए थे, तो समशाद ने एक ईंट उठाई थी और जुलेखा खातून को मारा था, जिसके परिणामस्वरूप उसका सिर फट गया था जिससे उसके सिर से खून बह रहा था। अ. सा.- 11 ने आगे

कहा है कि कुरबान ने उसके सामने कहा था कि वह अपने खेत में मूंग तोड़ रहा था, जब उसके भाई के लगभग 4-5 साल के बेटे ने उसे बताया था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, जिस के बाद वह विश्वनाथ साह की दुकान पर गया था और उस ने रमजान की पत्नी जुलेखा खातून को जमीन पर पड़ा देखा था। अ. सा.- 11 ने यह भी कहा है कि गवाह समी अख्तर ने उसे यह नहीं बताया था कि वहाँ से आने के बाद लोगों ने उसे सूचित किया था कि जमशेद और उसके परिवार के सदस्यों ने रमजान की पत्नी की हत्या कर दी थी।

21. अ. सा.- 12 बदरूद्दीन ने अपने बयान में कहा है कि यह घटना एक साल पुरानी है। अ. सा.- 12 ने यह भी कहा है कि सहदेव चौक पर जमशेद और जुलेखा खातून के बीच झगड़ा हुआ था और उन्होंने *हल्ला* (अलार्म) सुना था, हालांकि उन्हें नहीं पता कि जुलेखा खातून की मौत कैसे हुई। अ. सा.- 12 ने आगे कहा है कि जब वह किशोरी राय के खेत में जुताई करने जा रहे थे, तो उन्होंने किसी को आपस में लड़ते नहीं देखा। जिरह में अ. सा.- 12 ने कहा है कि वर्तमान बयान दर्ज करने से पहले उनका बयान किसी ने दर्ज नहीं किया था।

22. अ. सा.- 13 संजय राम ने अपने बयान में कहा है कि वह एक साल पहले अपने गांव में मौजूद नहीं थे, हालांकि उन्होंने सुना था कि जमशेद और जुलेखा खातून के बीच कुछ झगड़ा हुआ था और जुलेखा की गिरने और चोट लगने से मौत हो गई थी। उन्होंने आगे कहा है कि जब वे विश्वनाथ साह की चाय की दुकान पर पहुंचे तो उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। अपनी जिरह में, अ. सा.- 13 ने कहा है कि वह यह नहीं कह सकते कि जुलेखा की मृत्यु कैसे हुई।

23. अ. सा.- 14 डॉ. प्रमोद कुमार वह डॉक्टर हैं जिन्होंने एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर में पैथोलॉजी विभाग के प्रमुख के रूप में तैनात रहते हुए जुलेखा खातून के शव का 09.06.2012 को सुबह 11:00 बजे पोस्टमॉर्टम किया था और पोस्टमॉर्टम करने पर उन्हें बाहरी रूप से निम्नलिखित पूर्व-शव परीक्षण चोटें मिली थीं:.

> *"खोपड़ी के आकार की 2 "x 1" x हड्डी की गहरी पश्च अस्थि पर घाव।"*

विच्छेदन पर अ. सा.- 14 के निष्कर्ष इस प्रकार हैं:.

> *"बायां फेफड़ा पर घाव था और छाती का गुहा खून और खून के थक्के से भरा हुआ था। बाईं तरफ की चौथी, पांचवीं और छठी पसलियाँ टूट गई थीं। खोपड़ी के पश्चवर्ती क्षेत्र पर मस्तिष्क के ऊतकों में चोट लगी थी। खोपड़ी की ऑक्सीपिटल हड्डी टूट गई थी। उपर्युक्त चोटों में और उनके आसपास रक्त और रक्त के थक्के मौजूद थे। सभी प्रमुख वेसेल खाली थे। हृदय के सभी कक्ष खाली थे। सभी चोटें पूर्व-शव परीक्षण की प्रकृति की थीं।"*

अ. सा.- 14 ने मृत्यु का कारण इस प्रकार बताया है:.

> *"कठोर और कुंद चीज़ से चोटों के कारण रक्तस्राव और आघात।"*

अ. सा.- 14 ने अनुमान लगाया है कि मृत्यु और पोस्टमॉर्टम परीक्षा के बीच 24 से 48 घंटों का समय बीत गया है। अ. सा.- 14 ने आगे कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके हस्ताक्षर हैं और वह उनके द्वारा लिखा गया है, जिसकी उन्होंने पहचान की है और इसे प्रदर्श- 8 के रूप में चिह्नित किया गया है। जिरह में अ. सा.- 14 ने कहा है कि शव पर बाहरी रूप से केवल एक चोट थी जो उसने देखी थी। गर्दन और

लौकिक क्षेत्र (*कनपट्टी*, कान के ऊपर का क्षेत्र) पर कोई चोट नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि तीन टूटी हुई पसलियों वाला व्यक्ति कठिनाई से चल सकता है।

24. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को बंद करने के बाद विद्वत विचारण न्यायालय ने 19.05.2014 को दं. प्र. सं की धारा 313 के तहत अपीलार्थी का बयान दर्ज किया, ताकि वह अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली परिस्थितियों को व्यक्तिगत रूप से समझा सके, हालांकि उसने खुद के निर्दोष होने का दावा किया।

25. विचारण न्यायालय ने विचारण में प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना, विश्लेषण और जांच पर, उपरोक्त अपीलार्थी को अपराध का दोषी पाया है और उसे कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है और विचारण न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय और आदेश द्वारा निर्णित किया गया है।

26. हमने विद्वत विचारण न्यायालय के विवादित निर्णय और अभिलेख पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का अवलोकन किया है और अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के विद्वत एपीपी द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलील पर विचारपूर्वक विचार किया है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के सीधे अवलोकन से पता चलता है कि 08.06.2012 को सुबह लगभग 11:00 बजे, अपीलार्थी सुचक मो. रमजान के घर आया था, जहाँ सुचक अपनी पत्नी के साथ बैठा था और उसने जुलेखा खातून को अपने साथ अपने घर आने के लिए कहा था, जिस के बाद सुचक की पत्नी अपीलार्थी के साथ उसके घर गई थी और कुछ समय बाद सुचक ने अपनी पत्नी को शोर मचाते हुए सुना, जिस के बाद वह तुरंत अपीलार्थी के घर गया, जहाँ उसने देखा कि अपीलार्थी, मो. शमशाद, मो. खुर्शीद, कैसर खातून और हबीबन खातून द्वारा उसकी पत्नी पर मुट्ठियों, थप्पड़ों और पैरों से हमला किया जा रहा है। इसके बाद कहा जाता है कि सुचक ने

हस्तक्षेप किया और झगड़ा बंद कर दिया, जिसके बाद वह अपनी पत्नी जुलेखा खातून को पुलिस थाने ले गया था, लेकिन रास्ते में जब वे सुबह लगभग 11:30 बजे सहदेव चौक पर पहुँचे, तो अपीलार्थी वहाँ भागते हुए पहुँचा और फिर उसने जुलेखा खातून के सिर और गर्दन पर बांस की छड़ी से हमला किया जिस से वह घायल हो गई और जमीन पर गिर गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। अ. सा.- 1 मो. रमजान, अर्थात वर्तमान मामले के सुचक , अ. सा.- 4 मोहम्मद मुमताज, जो मृतक का भतीजा है, अ. सा.- 6 शमीना खातून, जो सुचक की साली है, और अ. सा.- 8 मोहम्मद कुर्बन अली, जो मृतक का देवर है, कथित घटना के चश्मदीद गवाह बताए गए हैं। जहाँ तक अ. सा.- 2 कयूम, अ. सा.-3 मोहम्मद शमशाद आलम, अ. सा.- 5 उमेश कुमार, अ. सा.- 7 मोहम्मद समी अख्तर, अ. सा.- 9 मो. कासिम, अ. सा.- 10 सरस्वती देवी, अ. सा.- 12 बदरूद्दीन और अ. सा.- 13 संजय राम का प्रश्न है, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने कथित घटना को नहीं देखा है और जबकि उन में से कुछ ने दूसरों से यह सुनने का दावा किया है कि जुलेखा खातून पर अपीलार्थी ने बांस की छड़ी से हमला किया था जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी, अन्य गवाहों ने कहा है कि वे नहीं जानते कि जुलेखा खातून की मृत्यु कैसे हुई थी, इसलिए उक्त गवाहों की गवाही का कोई साक्ष्य मूल्य नहीं होगा, इसलिए अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के उद्देश्य से इसे बाहर रखा गया है।

27. जहाँ तक अ. सा.- 6 शमीना खातून का संबंध है, उनका दं. प्र. सं की धारा 161 के तहत पुलिस के समक्ष दिया गया बयान जांच अधिकारी, यानी अ. सा.- 11 चंद्रिका राम के समक्ष उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रखा गया था और अ. सा.- 11 के साक्ष्य से पता चलेगा कि अ. सा.- 6 ने उनके सामने कहा था कि घटना के समय, वह कुछ काम कर रही थी और बच्चों के बुलाने पर, वह घटना स्थल पर

गई थी जहां लोगों ने उसे बताया था कि मृतक को मोहम्मद जमशेद (अपीलार्थी) द्वारा सहदेव चौक पर मार दिया गया है, इस प्रकार हम पाते हैं कि अभियुक्त पक्ष अ. सा.- 6 शमीना खातून के बयान में गंभीर विरोधाभास को उजागर करने में सक्षम रहा है, क्योंकि उनके मुख्य परीक्षण में उसे कथित घटना का चश्मदीद गवाह कहा गया है, हालांकि दं. प्र. सं की धारा 161 के तहत पुलिस के सम्क्ष दिए गए अपने बयान में उनके द्वारा कहा गया है कि वह घटना के बाद घटना स्थल पर पहुंच गई थी। इसी तरह, अ. सा.- 8 मोहम्मद कुरबान अली के साक्ष्य में भी गंभीर विरोधाभास है, क्योंकि जब धारा 161 के तहत उनके द्वारा दिया गया बयान पी. डब्ल्यू.- 11 चंद्रिका राम (जांच अधिकारी) के समक्ष उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए रखा गया था, तो उनके साक्ष्य के एक सीधे अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि पी. डब्ल्यू.- 8 ने पुलिस के सामने यह नहीं कहा था कि वह घटना के पहले स्थान पर पहुंचा था और उसने अपीलार्थी और अन्य लोगों को अपीलार्थी के घर पर जुलेखा खातून पर हमला करते देखा था और इसके विपरीत, उसने पुलिस के समक्ष कहा था कि जब वह अपने खेत में *मूंग* तोड़ रहा था, तो उसके भाई का बेटा आया और उसे बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वह विश्वनाथ साह की दुकान पर गया था और उसने सुचक की पत्नी जुलेखा खातून को ज़मीन पर पड़ा देखा था। इस प्रकार, हम पाते हैं कि जहाँ तक अ. सा.- 6 शमीना खातून और अ. सा.- 8 मोहम्मद कुरबान अली का प्रश्न है, उनके बयान में भौतिक विरोधाभास मौजूद हैं, इसलिए उनकी गवाही विश्वसनीय नहीं है और अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के उद्देश्य से विचार में नहीं लिया जा सकता है।

28. हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष का मामला दो चरणों में है, क्योंकि घटना का पहला स्थान अपीलार्थी का घर बताया गया है, जहां अपीलार्थी और अन्य

लोगों द्वारा जुलेखा खातून पर मुक्कों, थप्पड़ और पैरों से हमला किया गया था और दूसरा स्थान विश्वनाथ साह की दुकान के पास सहदेव चौक पर है जहां अपीलार्थी ने मृतक-जुलेखा खातून पर उसके सिर और गर्दन पर बांस की छड़ी से हमला किया था। जहाँ तक पहली घटना का संबंध है, अर्थात अपीलार्थी और अन्य लोगों द्वारा अपीलार्थी के घर पर जुलेखा खातून पर हमला किया जाना, हम पाते हैं कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, हालाँकि जहाँ तक घटना के दूसरे स्थान का संबंध है, हम पाते हैं कि दोनों अ. सा.- 1 मो. रमजान (वर्तमान मामले के सुचक) और अ. सा.- 4 मोहम्मद मुमताज, जो मृतक के भतीजे हैं, उपरोक्त घटना के चश्मदीद गवाह हैं और इन्होंने दृढता से सुचक की मृतक-पत्नी, अर्थात्, जुलेखा खातून, के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा किए गए कृत्य के बारे में गवाही दी है जो प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर भी खरी उतरी है और बचाव पक्ष भी इस के खिलाफ किसी विरोधाभास को उजागर करने में सक्षम नहीं रहा है। दोनों कथित गवाहों, अ. सा.- 1 और अ. सा.- 4 ने लगातार बयान दिया है कि सुचक की पत्नी, अर्थात् जुलेखा खातून पर सहदेव चौक पर अपीलार्थी द्वारा सिर और गर्दन पर बांस की छड़ी से हमला किया गया था, जिससे उसे चोट लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। हम यह भी पाते हैं कि उक्त घटना की पुष्टि सामग्री/दस्तावेजी साक्ष्य से भी होती है, यानी घटना स्थल से एकत्र की गई रक्त से लथपथ/दागदार मिट्टी से संबंधित जब्ती सूची (सामग्री प्रदर्श- 2) और अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार, यानी रक्त से लथपथ बांस की छड़ी (सामग्री प्रदर्श-1), पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अलावा, यानी रिकॉर्ड पर उपलब्ध मेडिकल साक्ष्य, जो खोपड़ी की ओसीसीपिटल हड्डी पर केवल एक बाहरी चोट के रूप में दिखाता है, हालांकि, यह भी दर्शाता है कि विच्छेदन पर, यह पाया गया कि जुलेखा खातून की चौथी, पांचवीं और छठी पसलियाँ टूटी हुई थीं और इसके अलावा, अ. सा.- 14, यानी डॉ. प्रमोद कुमार,

जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया था, ने राय दी है कि मृत्यु पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उल्लिखित कठोर और कुंद वस्तु से प्राप्त चोटों से उत्पन्न रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई है। इस प्रकार, हम पाते हैं कि अ. सा.- 1 और अ. सा.- 4 के चश्मदीद साक्ष्य ठोस, विश्वसनीय, यक़ीनीय और निर्भर करने लायक हैं, जो प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर खरे उतरे हैं और इसके अलावा, हम यह नहीं पाते हैं कि अ. सा.- 1 और अ. सा.- 4 का उक्त मौखिक साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत है, इसलिए कथित घटना में अपीलार्थी के अपराध के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है जो सभी उचित संदेहों से परे साबित होता है।

29. जहाँ तक अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता का इस आशय का तर्क है कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और चूंकि उसने मृतक के सिर पर बार-बार हमला नहीं किया था इस लिए अपीलार्थी का मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था, अतः वर्तमान मामला भ. दं. सं. की धारा 304 भाग- II के दायरे में आता है, हम उक्त निवेदन में इस कारण से बल पाते हैं कि सबसे पहले, अपीलार्थी ने मृतक पर कठोर और कुंद वस्तु से हमला किया था, दूसरा, शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर केवल एक चोट पाई गई है अर्थात मृतक की खोपड़ी की पश्च अस्थि और तीसरा, अपीलार्थी ने मृतक पर बार-बार बांस की छड़ी से प्रहार नहीं किया था। इसलिए, हालांकि हमें विवादित दोषसिद्धि और सजा के निर्णय में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं मिलती है, फिर भी इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी हालांकि इस ज्ञान के साथ स्पष्ट रूप से काम कर रहा था कि इस से मृत्यु होने की संभावना है, लेकिन हम पाते हैं कि उसका जान से मारने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार, हमें यह अभिनिर्धारित करने के लिए राजी किया गया है कि अपीलार्थी भ. दं. सं. की धारा 304 भाग- II के तहत दोषी ठहराए जाने लायक हैं, इसलिए भ. दं. सं. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी की

दोषसिद्धि और 10,000/- के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा को दरकिनार किया जाता है और इसके बजाय अपीलार्थी को भ. दं. सं. की धारा 304 भाग- II के तहत दोषी ठहराया जाता है और दस साल के लिए कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ दिया जाना चाहिएः

(i) ***कैमिलो वाज़ बनाम गोवा राज्य****, (2000) 9 एससीसी 1 में प्रकाशित ;*

(ii) ***रामपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य****, (2012) 8 एससीसी 289 में प्रकाशित ;*

(iii) ***अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य****, (2013) 6 एस. सी. सी. 770 में प्रकाशित ;*

(iv) ***चेंडा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य****, (2013) 12 एससीसी 110 में प्रकाशित ;*

(v) ***सुरैन सिंह बनाम पंजाब राज्य****, रिपोर्ट (2017) 5 एससीसी 796 में प्रकाशित ;*

(vi) ***अनबाज़गन बनाम राज्य****, 2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 857 में प्रकाशित ; और*

(vii) ***वेल्थेपु श्रीनिवास बनाम तेलंगाना राज्य****, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 107 में प्रकाशित ।*

30. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी अब भ. दं. सं. की धारा 304 भाग- II के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे तत्काल निर्णय द्वारा दस साल

के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, अपीलार्थी, जो पहले से ही हिरासत में है, को शेष सजा काटने का निर्देश दिया जाता है।

31. तदनुसार, वर्तमान अपील, अर्थात आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं. 541 वर्ष 2017, को ऊपर बताए गए हद तक आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्त्ति)

मैं सहमत हूँ।
नानी तागिया, न्यायमूर्त्ति:

(नानी तागिया, न्यायमूर्त्ति)

कंचन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।